भवानी सिंह विरूद्ध ग्रेसिम इन्डस्ट्रीज आदि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – ~~निग~~ 377 –दो/15 जिला – उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16.2.15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, न्यायालय उज्जैन के न्यायालय में प्रचलित अपील प्रकरण कमांक 2/13–14 को आयुक्त न्यायालय में अंतरित किए जाने हेतु म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– आवेदक की ओर से ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया । अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपर आयुक्त ने दिनांक 15–1–15 को आवेदक एवं अनावेदक क. 1 के तर्क सुने गये हैं साथ उन्होंने उभयपक्षों को एक सप्ताह का समय लिखित बहस पेश करने हेतु भी दिया गया है तथा प्रकरण को आदेशार्थ रखा गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही में ऐसी कोई अवैधानिकता या ऐसे कोई आधार प्रथमदृष्टया प्रतीत नहीं होते हैं, जिस कारण प्रकरण को अन्य न्यायालय में अंतरित किया जाये । अतः यह पुनरीक्षण अग्राह्य किया जाता है । सदस्य	

विविध 377-II-15

न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प उज्जैन मध्य प्रदेश

प्रकरण क्रमांक /15

भवानीसिंह शेखावत आत्मज स्व0 श्री गजानन्दसिंह शेखावत
निवासी 5/1 बी.सी.आई. स्टाफ कालोनी
बिरलाग्राम नागदा जिला उज्जैन मध्यप्रदेश
.....आवेदक/प्रत्यर्थी क्रमांक 2

विरूद्ध

1. ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड बिरलाग्राम नागदा द्वारा,
सावरमल जालवाल सहायक महाप्रबंधक विधि,
बिरलाग्राम नागदा, जिला उज्जैन म0प्र0

2. मध्यप्रदेश शासन द्वारा, कलेक्टर उज्जैन मध्यप्रदेश

3. मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल एवं अधोसंरचना
विकाश मण्डल उज्जैन, मध्यप्रदेश
.....अनावेदकगण

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 29 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959